


**कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़**  
कमांक **155** / त.शा.-2 / F-116 (APP-S) / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2019 अटल नगर, दिनांक **13.08.2019**  
// आदेश //

सहायक निर्देशक, शिक्ष प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई के पत्र कमांक बी.ओ.ए.टी./आई.एम. पी.-XIII/614201/17787/दिनांक 10.02.2016 के तारतम्य में अप्रेंटिस एक्ट 1961 प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा-8 (3ए) के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति के लिए मेरिट सूची से निम्नलिखित प्रशिक्षुओं को 01 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक छात्रवृत्ति दर पर नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु आदेशित किया जाता है :-

कं.	प्रशिक्षु का नाम	मुम्बई मुख्यालय से प्राप्त इनरॉलमेंट नंबर	श्रेणी	डिग्री/ डिप्लोमा	कार्यालय का नाम	टीप
<b>सिविल इंजीनियर</b>						
1.	कु. यामिनी साहू	WCTD001180600050	सामान्य	डिप्लोमा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड दुर्ग	—
2.	कु. साक्षी श्रीवास्तव	WCTD001170700143	सामान्य	डिप्लोमा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड धमतरी	—
3.	श्री भुपेन्द्र कुमार मांडले	WCTD001170600140	अ.जा.	डिप्लोमा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड दुर्ग	—
4.	कु. ममता	WCTD001170600138	सामान्य	डिप्लोमा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड दुर्ग	—
<b>मेकेनिकल इंजीनियर</b>						
5.	श्री साहिल मिरी	WCTG006170601029	अ.जा.	डिग्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वि./यां. खण्ड बिलासपुर	डिप्लोमा के विरुद्ध चयन
6.	श्री यश शुक्ला	WCTG006170600773	सामान्य	डिग्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वि./यां. खण्ड बिलासपुर	डिप्लोमा के विरुद्ध चयन
<b>कम्प्युटर इंजीनियर</b>						
7.	श्री अतुल जयसवाल	WCTG013180800001	सामान्य	डिग्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बिलासपुर	—
<b>मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट</b>						
8.	कु. हेमकान्ती मौर्य	WCTD813180600015	अ.ज.जा.	डिप्लोमा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वि./यां. खण्ड जगदलपुर	सामान्य के विरुद्ध चयन
9.	कु. ललीता	WCTD813180100010	अ.ज.जा.	डिप्लोमा	कार्यालय प्रमुख अभियंता, अटल नगर	अ.जा. के विरुद्ध चयन

उपरोक्त चयन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है -

1. अप्रेंटिस एक्ट 1961 प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा 8 (3ए) की शर्त लागू होंगी।
2. प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष होगी।
3. **प्रशिक्षण के पश्चात् विभाग नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा।**
4. प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर चयन निरस्त किया जा सकता है।
5. प्रशिक्षु द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनिकी संधारित किया जाना होगा।
6. प्रशिक्षु द्वारा द्विमाही जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से भरकर भेजना होगा।
7. उपस्थिति उपरांत प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षु मण्डल द्वारा Contract Creation हेतु मांगी जाने वाली सहमति दिया जाना आवश्यक होगा। सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण हेतु चयन निरस्त माना जावेगा।
8. छात्रवृत्ति भुगतान उपरान्त बैंक स्टेटमेंट की प्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
9. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार 12 आकस्मिक अवकाश एवं 15 मेडिकल अवकाश ही प्रदान किये जायेंगे इनके अतिरिक्त समस्त शासकीय अवकाश भी मान्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त अवकाश होने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा।
10. प्रशिक्षण अवधि में बिना कारण त्याग पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा, त्याग पत्र के मान्य कारण (i) गंभीर बीमारी (ii) उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश (iii) किसी विभाग में नियुक्ति होने पर निर्धारित है। बिना कारण प्रशिक्षण छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षु को प्रदाय की गई समस्त छात्रवृत्ति की राशि वापस करनी होगी।
11. प्रशिक्षण के दौरान डिग्रीधारी प्रशिक्षु को छात्रवृत्ति के रूप में रु. 4984.00 प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी को रु. 3542.00 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
12. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थाई प्रमाण पत्र मुम्बई मुख्यालय से प्राप्त होगा।

  
अधीक्षक अभियंता एवं  
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

पू.क. 4589/त.शा.-2/F-116 (APP-S)/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2019 अटल नगर, दिनांक 13.08.2019  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सहायक निर्देशक शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), ए.टी.आई. कैम्पस वी.एन. पूरव मार्ग सीओन, मुंबई 400022 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, खण्ड/वि./यां. खण्ड.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देश है कि प्रशिक्षु की उपस्थिति आदेश दिनांक से 10 दिवस तक प्राप्त कर, उपस्थिति सूचना प्रशिक्षु प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियंता को अनिवार्यतः प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में प्रशिक्षु के उपस्थित नही होने पर कार्यालय को मेल/फैक्स द्वारा अवगत करावें जिससे कि प्रतीक्षा सूची में से अन्य प्रशिक्षु का चयन प्रस्तावित किया जा सकें। प्रशिक्षु के निर्धारित अवकाश/निर्धारित कारण को छोड़कर बिना सूचना लगातार अनुपस्थित रहने पर 03 दिवस में इस कार्यालय को सूचित किया जाना होगा, साथ ही इनके भुगतान से संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्र (कॉलम 02 से 10 तक) में भरकर हर माह की 15 तारीख तक भेजना अनिवार्य होगा । इस हेतु कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
4. कार्यपालन अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेब साइट में अपलोड करें।
5. कृ./श्री/श्रीमती.....ट्रेड.....की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति आदेश दिनांक से 10 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ करें। आपके द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनंदिनी संधारित किया जायेगा दैनंदिनी एवं द्विमाही प्रगति प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र संलग्न है ।
6. कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर के लेखा शाखा/स्थापना शाखा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. कार्यालयीन आदेश नस्ती ।

**Draft Approved by E-in-C**

- संलग्न:-1. निर्धारित प्रपत्र (कॉलम 02 से 10 तक)  
कमांक-03 के लिए  
2. दैनंदिनी एवं द्विमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र  
कमांक 05 के लिए

20 L - 13/8/19  
अधीक्षण अभियंता एवं  
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर